# कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकन्द्राराऊ हाथरस।

## नीलामी–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में अनुपयोगी साज–सज्जा/फर्नीचर/स्क्रैप आदि (जो जैसा है जिस स्थिति में है) की सार्वजनिक नीलामी संस्थान प्रांगण में दिनांक 24.06.2016 की प्रातः 11 बजें निर्धारित शर्तो के अधीन की जायेगी।

इच्छुक केता उक्त तिथि से 2 दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संस्थान में स्वंय के व्यय पर पधारकर सामान देख सकते है तथा शर्तो की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

**शर्ते निम्नवत है।**

1. नीलामी की वस्तुओं की बोली लगाने से पूर्व (विडर) केता को रू0: 3000/– धरोहर राशि के रूप में संस्थान के कैशियर/भण्डारी के पास नकद जमा कराना होगा। धनराशि जमा कराने के पश्चात ही केता नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।
2. उच्चतम नीलामी बोली पूर्ण होने के पश्चात कुल नीलामी बोली का 1/4 भाग (25 प्रतिशत) धनराशि संस्थान के कैशियर के पास तत्काल जमा कराना होगा न जमा कराने की स्थिति में 10% प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. उच्चतम नीलामी बोली का शेष 3/4 भाग (75प्रतिशत धनराशि+वैट) नीलामी प्रक्रिया का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से दस दिन के भीतर संस्थान में नकद जमा कराना होगा।
4. निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 10 दिन के भीतर (75% प्रतिशत धनराशि + वैट) न जमा करने की स्थिति में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. नीलामी की वस्तुओं को विलम्बतम 10 दिन के अवधि में संस्थान के भण्डार में स्वयं के व्यय पर उठाना होगा 10 दिन की अवधि में सामान न उठाने की दशा में निर्धारित दर से भण्ड़ार के कक्षों का किराया वसूला जायेगा।
6. समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी को निहित होगा। उक्त के सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नही किया जायेगा।
7. समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र हाथरस होगा।

(signature) /06/16

(वाई0पी0सिंह)
प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
सिन्द्राराऊ, हाथरस।

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
हाथरस